

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 22(01)चिस्वा/2/2023

प्रबन्ध निदेशक,

राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
राज0 जयपुर।

जयपुर, दिनांक

विषय:- बजट घोषणा अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण हेतु ऋण लिये  
लाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक सहमति पत्र दिनांक 24.07.2023 की निरन्तरता में निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा अन्तर्गत स्वीकृत 15 चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण हेतु "राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड" द्वारा राशि रु. 600.00 करोड का ऋण लिया जाना है। इस हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र क्रमांक Ao.16/Sanction/RMSCL/ 2023-24 Date 31.08.2023 के क्रम में " राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड " को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से राशि रु. 598.17 करोड (अक्षरे राशि रु. पाँच सौ अठ्ठानवे करोड सत्रह लाख मात्र) का ऋण 15 वर्ष की कुल ऋण पुनर्भुगतान अवधि (02 वर्ष Moratorium सहित) के लिये ब्याज दर 8.30 + Nil Spread i.e. 8.30 P.A. at present with monthly rests पर लिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
6. एकल पत्रावली डी-18191
7. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर लाल चौधरी)  
सलाहकार

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.09.11 13:07:41 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4676479



राजस्थान सरकार  
निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राज.जयपुर

क्रमांक:एफ-1098/RSCML लोन 600 करोड / योजना-निर्माण / 2023 / 1073 दिनांक:- 13/9/23

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,राज.
2. सचिव,संयुक्त शासन सचिव(गुप-2),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. मिशिन निदेशक,एनएचएम,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय।
5. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. उप निदेशक(सांख्यिकी) योजना अनुभाग मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
8. आदेश /रक्षित पत्रावली। आदेश /रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
जयपुर राजस्थान

RajKaj Ref No. : 4709610

[Type the company name]

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation : Director  
Date :13-09-2023 12:16:56